

प्ररूप-4

[नियम 10 (1)(iv)]

जांच के लंबन के दौरान किसी बालक को बाल देखरेख संस्था में रखने का आदेश

सेवा में,

प्रभारी अधिकारी

तारीख .....20..... को दिन (बालक नाम), पुत्र / पुत्री ..... आयु .....

निवासी, का प्र०सू०रि०/डी०डी०सं०.....पुलिस स्टेशन..... में संलिप्त होने का अधिकथन

किया गया है, को किशोर न्याय बोर्ड द्वारा आदेश दिया जाता है कि बालक को .....की अवधि के

लिए..... नामक बाल देखरेख संस्था (पर्यवेक्षण गृह / सुरक्षा का स्थान) में रखा जाए।

आपको यह प्राधिकृत किया जाता है तथा आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त बालक को अपने उत्तरदायित्व में लें और बालक को बाल देखरेख (पर्यवेक्षण गृह/सुरक्षा का स्थान) पर रखा जाए तथा विधि के अनुसार उक्त आदेश के क्रियान्वित किए जाने हेतु जब भी निदेश दिया जाए, बालक को प्रस्तुत किया जाए।

सुनवाई की अगली तारीख.....

मेरे द्वारा किशोर न्याय बोर्ड की सील।

तारीख.....20.....

हस्ताक्षर  
प्रधान मजिस्ट्रेट / सदस्य  
किशोर न्याय बोर्ड